

कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान
निदेशालय परिसर, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर - 305001
ayush.drug@rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.8/ड्रग्स/लाई/2025/ 538

दिनांक : 12/05/2025

M/s. MANNAT INDIA MARKETING PVT. LTD.
C-35, RIICO INDUSTRIAL AREA,
SADULPUR, CHURU 331023 (RAJ.)

विषय : नवीन लोन अनुज्ञापत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी संस्था को जारी लोन अनुज्ञापत्र संख्या **RJ 968-AYU.E / 08.05.2025** को आयुष मंत्रालय भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक : 01/10/2021 के अनुसार तैयार कर 01 शास्त्रोक्त औषधियों का अनुमोदन कर अनुज्ञापत्र **FORM-25E** में भिजवाया जा रहा है।

1. कृपया ध्यान रहे कि सभी औषधियों के लेबल्स/कार्टून "ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक नियम 1945" के नियम 161 के अनुरूप होंगे।
2. कोई भी औषधि का लेबल्स/कार्टून का डिजाइन, नाम इत्यादि इस प्रकार का नहीं होगा कि वह बहुप्रचलित औषधि के समान होने का संदेह उत्पन्न करती हो।
3. संबंधित औषधियों के घटक केवल वे ही होंगे जिनको कि "ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940" की अनुसूची "क" में उल्लिखित आयुर्वेदिक, सिद्धा अथवा यूनानी पद्धति के सन्दर्भ ग्रन्थों में दर्शाया गया है।
4. लेबल पर "आयुर्वेदिक औषधि" अथवा "आयुर्वेदिक प्रोपराईटरी औषधि" लिखा जावे तथा औषधि के घटक द्रव्यों में यदि **Schedule E(1)** के अन्तर्गत आने वाले घटक द्रव्य है तो लेबल पर 'चेतावनी - चिकित्सक की देखरेख में लेवें' 'Caution - To Be Taken Under Medical Supervision' हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेबल पर अंकित किया जावे।

संलग्न : **FORM-25E**

क्रमांक : प.8/ड्रग्स/लाई/2025/

दिनांक :

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) जिला - चूरु क्षेत्र।

(डॉ. समय सिंह मीना)
सहायक औषधि नियंत्रक (आयुर्वेद)
अजमेर

Signature valid

Digitally signed by Samay Singh Meena

Designation : Assistant Drug Controller

Date: 2025.05.12 10:47 IST

Reason: Approved



Handwritten signature